



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 629]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 14, 2017/आषाढ़ 23, 1939

No. 629]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 14, 2017/ASADHA 23, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2017

सं. 67/2017- सीमाशुल्क

सा.का.नि. 881(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1), के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, सा.का.नि. संख्या 123(अ), दिनांक 1 मार्च, 2005 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 25/2005-सीमाशुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2005 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 4 और इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
"4.	8504 40	ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग मशीनों और उनकी यूनितों और सेलुलर मोबाइल फोन से भिन्न टेलीकम्यूनिकेशन अपारेटस से संबंधित स्टेटिक कनवर्टर"

[फा. सं. 354/20/2017-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना सं. 25/2005-सीमाशुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2005 सा.का.नि.संख्या 123(अ), दिनांक 1 मार्च, 2005 के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 15/2012-सीमाशुल्क, दिनांक 17 मार्च, 2012, को सा.का.नि. 188(अ), दिनांक 17 मार्च, 2012 के तहत संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th July, 2017

No. 67/2017–Customs

G.S.R. 881(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 25/2005-Customs, dated the 1st March, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 123(E), dated the 1st March, 2005, namely :—

In the said notification, in the Table, for serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)
“4.	8504 40	Static converters for automatic data processing machines and units thereof, and telecommunication apparatus, other than static converters for cellular mobile phones”.

[F. No. 354/20/2017-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification No. 25/2005-Customs, dated the 1st March, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.123(E), dated the 1st March, 2005 and was last amended by notification No. 15/2012-Customs, dated the 17th March, 2012 *vide* number G.S.R. 188(E), dated the 17th March, 2012.